329

संख्या– 224/XXXVI(I)/2015

प्रेषक,

कहकशा खान
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून, 14 अक्टूबर, 2015

विषयः अकादमी में व्याख्यान देने हेतु पधारने वाले विशिष्ट अतिथि वक्ताओं/वार्ताकारों हेतु प्रतिसत्र मानदेय, आने जाने के व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या–457/03-VIII/2014 दिनांकित 29.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल की मा0 शासी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांकित 21.03.2015 के अनुकम में अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यकमों में व्याख्यान हेतु पधारने वाले विशिष्ट अतिथि वक्ताओं/वार्ताकारों को रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रतिसत्र मानदेय तथा यात्रा व्यय के रूप में वायुयान की इकोनॉमी श्रेणी अथवा रेल की प्रथम वातानुकुलित श्रेणी/टैक्सी का वास्तविक किराया भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अकादमी में विशिष्ट अतिथि के सम्बन्ध में निर्णय, प्रत्येक वर्ष में विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम संख्या व उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों की संख्या का निर्धारण मा0 मुख्य न्यायमूर्ति उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा स्वविवेकानुसार लिया जायेगा एवं उपरोक्त उद्देश्य हेतु प्रत्येक वर्ष रू0 5.00 लाख की धनराशि अकादमी अपने बजट से व्यय कर सकती है।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला संगत वित्तीय वर्ष के अुनदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800 अन्य व्यय–09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी–44 प्रशिक्षण व्यय के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–13/NP/XXVI(S)/15-16 दिनांक 14.10.2015 को उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

14.10.2015

(कहकशा खान)
अपर सचिव

संख्या–224/XXXVI(I)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिबन्धक, मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिगं, माजरा, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

14.10.2015

(कहकशा खान)
अपर सचिव